

पत्रावली दिनांक 19.5.22 को पेश करे

9.5.22 वकील वादी ने प्रा.पत्र वाड विद्दे कलने हेतु पेश किया। पत्रावली तलव की गई पत्रावली को अक्लोकन किया गया। वकील वादी अपना वाड आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विद्दे प्रा.पत्र के आधार पर रवायिज कवाना चाहता है। पत्रावली को अक्लोकन किया गया। अक्लोकन कलने के पश्चात वादी का वाड विद्दे प्रा.पत्र के आधार पर रवायिज किया जाया है। पत्रावली जैसे सुमार टोका दर्ज नम्बर से कम है। आदेश सुले - मामालय में सुनाया गया।

Registered
Identified
Jury

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

